



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4644 वर्ष 2026

सूर्य प्रकाश तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सौरभ श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 103 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 115(2), 117(2), 109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- शिवरतनगंज, जिला- अमेठी में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चोटों की प्रकृति अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि चोटिल (आहत) के हाथों पर चोटें आई हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चोटिल के किसी भी मर्मस्थान पर चोट नहीं है और चोटों की प्रकृति प्राणघातक नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 16.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह दर्शित होता है कि आवेदक दिनांक 16.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और जैसा कि जमानत प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर 17 में स्पष्ट किया गया है, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में लिप्त आवेदक- **सूर्य प्रकाश तिवारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर या अन्य प्रकार से अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक (i) प्रकरण की सुनवाई करने (ii) आरोप विरचित करने तथा (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सख्ती से केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर किसी प्रभाव के रूप में नहीं लिया जाएगा।

29 जून, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।